अपील सूचना अधिकार संख्या 95/2021(GCMS 2021/151) (आरटीआई नं. 212652591985244) श्री पवन पारीक नजदीक ठाकुरजी मन्दिर, कालूवास, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर – 331803 (मोबाईल नं.86190–93867) बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.03.2023

पत्रावली पेश हुई। **अपीलार्थी** पवन पारीक स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ** से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2021 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी पवन पारीक ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 30.07.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी:

mene 1 UDM gaav anupgarh tehsil dist. Ganganagar raj. me 60X90 aawashly bhukhand si kiste bhari thi. Lekin mujhe abi tak bhukand aavantan nhi hua h aaplo me rasheede bhej salgan pdf formet me upload kar raha hua h aapko me rasheede bhej salgan pdf formet me upload kar raha hu inka 37 year pahle ka record ki copy deve

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:40 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ ने अपने पत्रांक आर.टी.आई./1130 दिनांक 20.08.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयानतर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का बिन्दुवार प्रत्युतार निम्मानुसार सादर प्रेषित है:

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन क्रमांक 212706223685880 दिनांक 30.07.2021 में सूचना निम्नुसार पृष्ठांकित कर चाही गई थी : mene 1 UDM gaav anupgarh tehsil dist. Ganganagar raj. me 60X90 aawashly bhukhand si kiste bhari thi. Lekin mujhe abi tak bhukand aavantan nhi hua h aaplo me rasheede bhej salgan pdf formet me upload kar raha hua h aapko me rasheede bhej salgan pdf formet me upload kar raha hu inka 37 year pahle ka record ki copy deve
2. श्रीमान्जी आवेदक द्वारा वांछित पत्रावली का पूर्ण विवरण नहीं होने के कारण **आवेदक को पूर्ण विवरण प्रेषित बाबत लिखा जाने वाल पत्र ऑनलाईन सूचना का अधिकार पोर्टल पर तकनीकि कारणों से अपलोड़ नहीं हो पाया।** श्रीमानजी आवेदन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में एक अन्य आवेदन क्रमांक 212855662220746 दिनांक 30.07.2022 किया गया था। जिसमें आवेदक का पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने बाबत लिखा गया है। प्रति संलग्न।
3. श्रीमान् हस्तगत प्रकरण में आवेदक द्वारा पूर्ण विवरण उपलब्ध करवाने पर आवेदक को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

-sd-
राज्य लोक सूचना अधिकारी
एवं सहायक अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:40 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधि[illegible] अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, जो सही [illegible] लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील प्राप्त होने के पश्चात भी कोई जवाब प्रेषित नहीं किया है। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> <u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है, की सूचना अपीलार्थी को दी है अथवा नहीं,? का पता नहीं चलता है। जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को **आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 7 दिवस में उसे जवाब दिया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को **पालनार्थ** भिजवाई [illegible] **सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली ब[illegible] को।

यह आदेश आज [illegible] मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:40 IST
Reason: SelfAttested